अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर,

रिमा05
20/9/24

मुमताज बनाम सरीफन वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः (2024/215) (अजमेर)

	श्री लवप्रतापसिंह राठौड	
20.09.2024	**मुमताज बनाम सरीफन वगैरह (2024/215)** यह अपील श्री लवप्रतापसिंह राठौड एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 54/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई, अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2024 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं विधि के द्वारा सुस्थापित प्रावधानों के विरूद्ध नॉनस्पीकिंग आदेश पारित किया गया है। वादीया/अपीलांट के पिता मांगू खॉ के कुल वारिस एक पुत्र रहमतुल्ला खॉ एवं छः पुत्रीया सुगरा, छोटी, मुमताज, रहमत, ईदी, कुबरा हुए, जिसमें से छोटी एवं रहमत भारत पाकिस्तान विभाजन के समय ही पाकिस्तान चली गई। जिसके कारण अपीलांट/वादीया के पिता मांगू खॉ पुत्र आसानी खॉ के वर्तमान में कुल पांच वारिसान है। वादीया के पिता मांगू खॉ पुत्र आसानी खॉ के देहांत के बाद वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण संख्या 02 दिनांक 15.01.1987 वर्तमान रेस्पोडेन्ट सेख्यां 04 रहमतुल्लाह खॉ ने गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों से साठ गाठ करते हुए सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण स्वयं अकेले के नाम तस्दीक करवा लिया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादीया के प्रार्थना पत्र में अंकित किसी भी तथ्य पर कोई गौर नही करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर कोई स्थगन आदेश पारित नही करते हुए केवल मात्र अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान रेस्पोडेन्टस के द्वारा भू माफिया को बेचान करने पर आमादा है, जिसके लिए उनके द्वारा लगातार जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, यदि अप्रार्थीगण अपनी उक्त मंशा में कामयाब हो गये, तो अपीलांट/वादीया के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण तक पारित करने का आदेश पारित करावें। अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलांट/वादीया मांगू खॉ की पुत्री है । अपीलांट के हक अधिकार तो वाद के निस्तारण के बाद ही तय होंगे किन्तु उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मुमताज बनाम सरीफन वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः (2024/215) (अजमेर)

अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने से विवादित आराजी की मौके एवे रिकार्ड की यथास्थिति रखी जाकर संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की शीघ्र तलबी नोटिस पूर्ण कर उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे अप्रार्थीगण की शीघ्र तलबी नोटिस पूर्ण कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अंकित विवादित आराजी की उभय पक्षकारान मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर